तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/10/19	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उप0। प्रतिवादी पैरोकार उप0। उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी ने इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी ग्राम–आसाडी तह0 गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 224 रकबा 77.15 बीघा, खसरा नम्बर 319 रकबा 142.02 बीघा, खसरा नम्बर 559 रकबा 0.07 बीघा, खसरा नम्बर 577 रकबा 71.09 बीघा, मौजा बखतपुरा पटवार हल्का शहदाद का पार के खेत खसरा नम्बर 1122 रकबा 152.09 बीघा, मौजा रावतसर पटवार हल्का खानियानी के खेत खसरा नम्बर 1736 रकबा 105 बीघा, खसर नम्बर 1842 रकबा 49.05 बीघा मौजा गिराब पटवार हल्का गिराब के खेत खसर नम्बर 606 रकबा 130 बीघा में भूमि अवस्थित है। प्रार्थी की उक्त वादग्रस्त भूमि तह0 गडरारोड़ मे अवस्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे हल्का पटवारी द्वारा भूलवंश प्रार्थी का नाम उदयसिह के स्थान पर पपुसिंह दर्ज है। अतः प्रार्थी ने आवेदन मे अंकित भूमि के राजस्व रेकर्ड में अपने नाम के शुद्विकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी पैरोकार को नोटिस जारी किया गया। विप्रार्थी तहसीलदार गडरारोड़ ने अपने जबाव मे प्रार्थी के नाम को दुरूस्त किये जाने मे अपनी अनापति जाहिर की है। प्रार्थी ने अपने आवेदन के समर्थनं में दस्तावेजात नकल वर्तमान जमांबंदी, आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व मौखिक अभिकथनों तथा विप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थी का नाम उदयसिंह ही है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा आसाडी, पटवार हल्का आसाडी के खेत खसरा नम्बर 224 रकबा 77.15 बीघा, खसरा नम्बर 319 रकबा 142.02 बीघा, खसरा नम्बर 559 रकबा 0.07 बीघा, खसरा नम्बर 577 रकबा 71.09 बीघा, मौजा बखतपुरा पटवार हल्का शहदाद का पार के खेत खसरा नम्बर 1122 रकबा 152.09 बीघा, मौजा रावतसर पटवार हल्का खानियानी के खेत खसरा नम्बर 1736 रकबा 105 बीघा, खसरा नम्बर 1842 रकबा 49.05 बीघा, मौजा गिराब पटवार हल्का गिराब के खेत खसरा नम्बर 606 रकबा 130 बीघा में भी प्रार्थी के राजस्व रेकर्ड मे अन्य सभी प्रविष्टियां यथावत रखते हुए प्रार्थी का नाम पपुसिंह के स्थान पर उदयसिंह घोषित किया जाता है। तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश आज दिनांक 21.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी शिव	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 14:11:53 IST
Reason: SelfAttested